

परियोजना का नाम :-उत्तराखण्ड राज्य में 126 कि०मी० ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण ।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण-पत्र

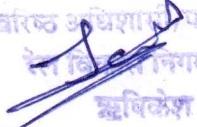
प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।


हिमंशु बादोनी / HIMANSU BADONI
मुख्य परियोजना प्रबंधक / Chief Project Manager
रेल विकास निगम लि० / Rail Vikas Nigam Ltd.
(भारत सरकार उद्यम / A Govt. of India Enterprise)
ऋषिकेश-249137 / Rishikesh (Uttarakhand)-249137

मुख्य परियोजना प्रबंधक
रेल विकास निगम लि०
(भारतीय रेल की ओर से)

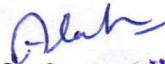

सुरेन्द्र कुमार / SURENDRA KUMAR
संयुक्त महाप्रबंधक/परि. / JGM/Projects
रेल विकास निगम लि० / Rail Vikas Nigam Ltd.
(भारत सरकार उद्यम / A Govt. of India Enterprise)
रेल विकास निगम लि० Ministry of Railways
ऋषिकेश-249137 / Rishikesh - 249137


कन्सल्टेन्ट (वन)
रेल विकास निगम लि०


वन अधिकारी
रेल विकास निगम लि०
ऋषिकेश


उप वन संरक्षक
प्रभागीय वन अधिकारी
ऋषिकेश-वनप्रभाग
ऋषिकेश


उप प्रभागीय वन अधिकारी
उप प्रभागीय वन अधिकारी
ऋषिकेश-वनप्रभाग
ऋषिकेश


राजिअधिकारी
ऋषिकेश-वनप्रभाग
ऋषिकेश